SOLITAIRE VALLEY

Jhalwa, Prayagraj

A Project of :
THE INNOVATORS GROUP

EWS & LIG FLATS

सीमित अल्प एवं निम्न आय वर्ग हेतु किफायती आवासीय योजना

City Office : 33/1A/SF-2, Srikhand Market, Tashkand Marg, Civil Lines, Prayagraj - 211001

Site Office : Solitaire Valley, Jalalpur Ghosi, Jhalwa, Prayagraj, - 211012

www. solitairevalley.com 854-989-022

उत्तर प्रदेश की सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने की नीतियों के अंतर्गत सालिटेयर वैली, मौजा – जलालपुर घोसी, तहसील – सदर, प्रयागराज में प्रस्तावित **E.W.S.** योजना के अन्तर्गत किफायती (Stilt+6) आवासीय योजना एवं **L.I.G.** योजना के अन्तर्गत किफायती (G+5/6) आवासीय योजना प्रारम्भ की जा रही है जहां सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग के लिए अत्यन्त कम कीमत पर, अच्छी निर्माण क्वालिटी एवं सर्व सुविधा सम्पन्न फ्लैट उपलब्ध होंगे।

प्रयागराज अब ऐसे स्थान के रूप में विकसित हो रहा है जहां पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी आए लोग अपनी नौकरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण यहां स्थापित होने के उद्देश्य से एक किफायती मकान की आवश्यकता महसूस करते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **L.I.G.** एवं **E.W.S.** आवासीय योजना में फ्लैटों का पंजीकरण प्रारम्भ किया है। आम जनता के लिए बनाये जाने वाले यह फ्लैट किफायती, मजबूत एवं सामान्य जीवन की सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।

इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैटों का अनुमानित क्षेत्रफल 46.50 वर्ग मी0 व 52.30 वर्ग मी0 होगा। फ्लैटों में लिविंग रूम / बेड रूम, रसोई घर, बाथरूम एवं बालकनी का प्रावधान है। फ्लैटों के डिजाईन में समुचित वेंटिलेशन एवं रोशनी की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे कि फ्लैट हवादार एवं प्राकृतिक रोशनी से भरपूर हो। भूकम्प रोधी निर्माण, पार्क एवं बच्चों के लिए खेलने की समुचित व्यवस्था, चौडी सडकें, अत्यधिक खुला स्थान, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें, पर्याप्त पार्किंग इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

विवरण पुस्तिका

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्राविधानों के अन्तर्गत ''सालिटेयर वैली'' की आवासीय योजना के भवनों का विवरण –

1. पंजीकरणः

1.1 पंजीकरण हेतु पात्रता –

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासीय भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवंटन में वरीयता नहीं मिलेगी।
- आवेदक अथवा उसके (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पति/ पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) किसी सदस्य का प्रयागराज विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार एक ही आवेदन कर सकता है।
- फ्लैट्स के आवंटन हेतु केवल पति, पत्नी अथवा एक ही परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसकी संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्य कोई संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- रू0 5 लाख से कम अनुमानित मूल्य की सम्पत्तियों यथा EWS हेतु ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जिनके पास निजी मोटराइज्ड चार-पहिया वाहन है।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

2. सम्पत्तियों का विवरण –

बिल्डिंग एवं फ्लैटों के डिज़ाईन में परिवर्तन हो सकता है।

फ्लैट के प्रकार	फ्लैटों की अनुमानित संख्या	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग मी0)	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू0 लाख)	पंजीकरण धनाशि (रू0 में)	चयन के पश्चात 30 दिन में देय धनराशि	अवशेष भुगतान
EWS	51	46.50	649151	30,000/-	अनुमानिक विक्रय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि हटाकर)	शेष धनराशि 36 माह में 12 तिमाही किश्तों में जमा करना होगा।
LIG	51	52.30	1299350	60,000/-		
ई0डब्लू0एस0 हेतु आवंटी की वार्षिक आय सीमा रू0 3,00,000/- तक एवं एल0आई0जी0 हेतु वार्षिक आय सीमा रू0 3,00,001/- से अधिक परन्तु रू0 6,00,000/- तक निर्धारित है। भवनों का आवंटन लीजहोल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/ हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध रहेगा, तत्पश्चात यह फ्रीहोल्ड माना जायेगा।						

नोट –

- उपरोक्त दरें वर्तमान में CPWD की दरों पर आधारित है। यदि CPWD की तरफ से कोई Notification/Official Cost Index जारी किया जाता है तो तदानुसार यह दरें भी बढ़ जायेंगी और आवंटी उन्हीं चढ़ी दरों के आधार पर भुगतान को बाध्य होगा और इस संबंध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
- उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- उपरोक्त फ्लैटों की संख्या अनुमानित है जो घट या बढ़ सकती है। उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है, जिसमें वृद्धि हो सकती है।
- शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त टैक्स यथा जी0एस0टी0 आदि रोपित किया जाता है तो यह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
- अनुमानित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर भवन का मूल्य वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार देय होगा।
- भवन पूर्ण होने के 3 माह के अन्दर आवंटी को रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा अथवा तीन माह पश्चात् रू. 1 प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह ब्याज सहित देय होगा। एक वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं कराने पर आवंटन निरस्त करते हुए पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती करके शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

2.1 उपरोक्त भवनों का आवंटन उ0प्र0 शासन की शासनादेश सं01/ 2418/ आठ–1–14–80विविध/ 10 के क्रम संख्या 1128/ आ0व0/ 2014 दिनांकित 27.08.2014 के अनुसार गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।

2.2 चयन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किश्ते निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज देय होगा। यदि आवंटि द्वारा आरक्षण धनराशि अथवा देय किश्त की धनराशि उसकी देय तिथि से अधिकतम 90 दिन में ब्याज सहित जमा नहीं की जाती है तो उसका आरक्षण/ आवंटन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा जो कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अग्रिम सूचित करते हुए किया जायेगा। अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू–सम्पदा (विनिमय एवं विकास) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत इस संबंध में प्रसधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।

2.3 विकासकर्ता द्वारा ये फ्लैट 36 माह की अवधि में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

2.4 आवंटी द्वारा नियमानुसार लीज होल्ड चार्जेज व अन्य व्यय का भुगतान भवन का निबन्धन/अनुबन्ध/पट्टा डीड कराने से पूर्व करना होगा। निबन्धन/अनुबन्ध पूर्व निर्धारित स्टैम्प पेपर आवंटी को स्वयं उपलब्ध कराना होगा।

2.5 भवन का निबन्धन/ अनुबन्ध रजिस्टर्ड होने के साथ ही आवंटी को भवन का कब्जा हस्तगत कर दिया जायेगा।

2.6 सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी द्वारा कोई भी निर्माण बिना विकासकर्ता की अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर आवंटन नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण/ आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा विकासकर्ता द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

2.7 अंतिम आवंटन विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद होगा।

3. आवंटी/ आवेदक की मृत्यु की दशा में –

यदि आवंटी/ आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/ उसको आवंटित भवन, सर्वप्रथम पति/ पत्नी को एवं पति/ पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

4. आरक्षण –

4.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा।

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/ सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो।	05
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	सुरक्षा सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	दिव्यांगजन को शासनादेश सं. 786/आठ–1–08–25 विविध/07 दिनांक 30.01.08 तथा 3645/आठ–1–2011–25 विविध/07 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजाण्टल आरक्षण देय होगा।	

(नोट– यदि उपरोक्त सूची में दी गयी आरक्षण तालिका के अनुसार आवेदन पत्र विकासकर्ता को समय सीमा में प्राप्त नहीं होते है तो आरक्षित भवन भी सामान्य श्रेणी में गिने जायेंगे।)

4.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धिजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह प्रकार यह आरक्षण होरीजोण्टल होगा।

4.3 वृद्धजनों में तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

4.4 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4.5 पैरा 4.1 का आरक्षण प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4.6 (अ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(ब) जो पेशावर कांड में रहा हो या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो या भूतपूर्व इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

(स) दिव्यांगजन के आवेदकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/ सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

4.8 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशार्न्तगत आने वाली जातियों से है।

4.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम–1994) अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट है। इस

अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

4.10 प्रयागराज विकास प्राधिकरण/ जल संस्थान/ नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हो

5. आवंटन –

5.1 फ्लैटों (फ्लोर/ यूनिट नं0) का आवंटन फ्लैट की उपलब्धता के आधार पर लाटरी के माध्यम से जन सामान्य के समक्ष किया जायेगा।

5.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

6. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं असफल आवेदकों की जमा धनराशि की वापसी –

6.1 चयन की लाटरी के पश्चात् असफल एवं निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों को एक माह के अन्दर एकाउण्ट पेई चेक द्वारा धनराशि बिना ब्याज के बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का खाता अंकित करना होगा।

6.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् धनराशि वापस लेने पर 20% (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

7. तथ्यों का छिपाना –

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/ अनुबन्ध/ निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विकासकर्ता को होगा, आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो चुका है तो विकासकर्ता री–एन्ट्री करते हुए फ्लैट का कब्जा वापस प्राप्त कर सकेगा अथवा विकासकर्ता प्र0वि0प्रा0 की शर्तों के अनुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकता है।

8. भुगतान –

आवंटियों द्वारा सीलिंग कास्ट के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय–विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

9. फ्लैट्स का कब्जा –

9.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध/ निबन्ध निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। आवंटन तिथि से 36 माह में फ्लैट का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में आवंटी को अपनी जमा धनराशि पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपनी ब्याज सहित जमा धनराशि वापस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

9.2 अनुबन्ध/ निबंधन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

9.3 विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार आरक्षण शुल्क देना होगा तत्पश्चात् अनुबन्ध/ निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता को प्र0वि0प्रा0 को सूचित करते हुए फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. शुल्क/ कर आदि की देयता –

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/ शुल्क आवंटी पर देय होंगे।

11. अन्य सामान्य नियम व शर्तें –

11.1 आवंटन के पश्चात् विकासकर्ता की अन्य प्रचलित शर्तें/ नियम तथा समय-समय पर विकासकर्ता अथवा प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/ परिवर्तन/ परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

11.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

11.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र प्रयागराज परिसर होगा।

12. पंजीकरण प्रक्रिया -

12.1 पंजीकरण प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.solitairevalley.com से डाउनलोड करके प्राप्त किये जा सकते है ऐसे आवेदन पत्रों पर धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रू. 300/ का अलग से भुगतान करना होगा।

12.2 .... तक योग्य आवेदकों की सूची विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट www.solitairevalley.com पर उपलब्ध होगी।

12.3 योग्य आवेदकों की सूची जारी होने की तिथि से 45 दिन के भीतर लाटरी के माध्यम से फ्लैटों का वितरण कर दिया जायेगा।

12.4

- विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरें।
- पंजीकरण की धनराशि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं।
- विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप को रू. 10/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/ मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुए आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
- आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर विकासकर्ता द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

13. आवेदन-पत्र भरने के लिए अनुदेश -

1. पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन विकासकर्ता के वेबसाइट www.solitairevalley.com के माध्यम से निश्चित अवधि में ही स्वीकार किये जायेगें।
2. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः आवदेक की सुविधा के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 6 व 7 पर पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
4. संयुक्त नाम से प्रस्तुत किए गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए।
5. आवेदन-पत्र पर आवेदक/ आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा।
6. आवेदक कृपया अपने बैंक खाते से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनायें आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य भरें जिससे कि असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि की वापसी सीधे उनके खाते में तत्काल सम्भव हो सकेगी।
   (अ) बैंक के ब्रांच का एम0आई0सी0आर0 कोड (ब) बैंक के ब्रांच का आई0एफ0एस0ई0 कोड (स) खाते का प्रकार (बचत/ करेंट/ कैश क्रेडिट)

14. भुगतान पद्धति के कोड -

नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 90 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान) स्ववित्त पोषित (36 माह में 12 तिमाही किश्तों में भुगतान)

15. प्रस्तावित योजना –

“सालिटेयर वैली” प्रयागराज

16. फ्लैट का प्रकार –

EWS, LIG

शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ-पत्र रू. 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/ हम श्री/ श्रीमती .... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी/ श्री .... आयु .... वर्ष .... निवासी...शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूं/ करते हैं कि -

1. मैं/ हम भारत का/ के नागरिक हूँ/ है।
2. मेरे या मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का प्रयागराज नगर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद इम्प्रूवमेण्ट, ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/ भवन नहीं है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों अनुरूप भुगतान करूंगा/ करूंगी/ करेंगे।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/ करूंगी/ करेंगे। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/ हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. मेरे अथवा मेरे परिवार के पास निजी चार पहिया मोटराइज्ड वाहन नहीं है। (केवल EWS हेतु लागू)
6. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं. ये सत्य है।
7. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि उपरोक्त घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जायें तो विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि यह आवंटित भूखण्ड/ भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/ दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्डों के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व के बकाया की भांति मुझसे वसूली कर ली जाय।

शपथी

आवेदक की प्राप्ति रसीद (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जायेगा) पंजीकरण फार्म नम्बर..........
आवेदक का नाम ....
बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. नं0....................................... धनराशि .... दिनांक.............................
ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. नं0... निर्गत करने वाले बैंक का नाम..
शाखा ....

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक :

EWS

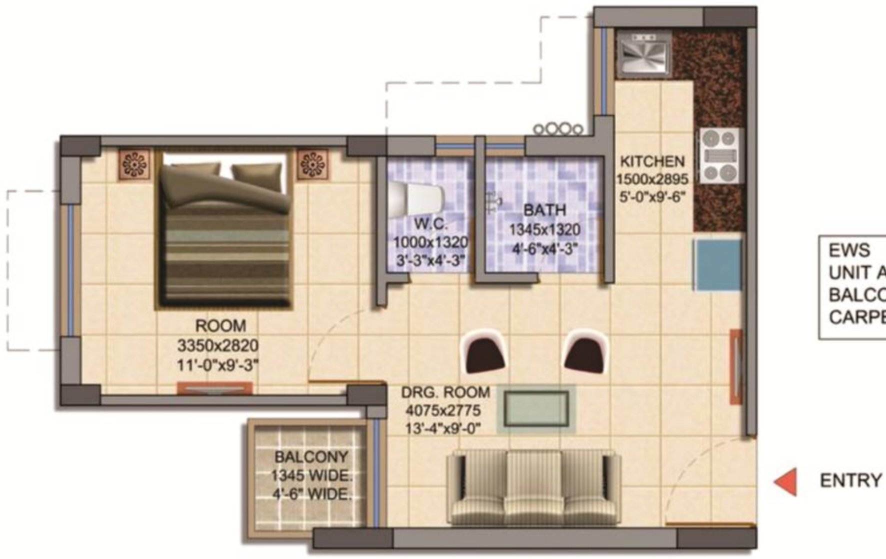

EWS
UNIT AREA = 357 SQFT.
BALCONY = 20 SQFT.
CARPET = 316 SQFT.

Floor Plan EWS

LIG

LIG
UNIT AREA = 406 SQFT.
BALCONY = 39 SQFT.
CARPET = 366 SQFT.

Floor Plan LIG

Disclaimer : This Brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters ? architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.